खंड 7 संख्या 22

बिहार विधान-सभा

(भाग 2—कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

बुधवार, तिथि 28 जुलाई 1982

विषय-सूची

	पृष्ठ
शून्य काल की चर्चाएं :	
(1) तिरहुत कैनाल के टूटजाने से उत्पन्न स्थिति ..	1
(2) हत्या आदि घटनाओं से जन-जीवन आतंकित ..	1-2
(3) छत टूट जाने से विधायक घायल	2
(4) डाक्टर और उनके लठैतों द्वारा ग्रामीण की हत्या ..	2
(5) कोईलियरी में कातिलाना हमला	3
(6) कैनाल टूटने से ग्रामीणों को क्षति ..	3
(7) विधान-सभा सदस्य श्री सूर्यदेव सिंह की गिरफ्तारी ..	3-4
(8) छत गिरने से विधान-सभा सदस्य को चोट ..	4
(9) संथाल परगना जिला में राहत कार्य	4-5
(10) थाना प्रभारी का अपराधकर्मियों से सांठ-गांठ ..	5
(11) भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनियमितता ..	5-6
(12) वर्षा नहीं होने से भीषण अकाल	6
(13) बखरी को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग ..	6
(14) ट्रान्सफार्मर की मरम्मती	6-7

श्री रामजी प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, एक ध्यानाकर्षण सूचना पर कितना समय दीजियेगा?

अध्यक्ष—(खड़े होकर)—शान्ति, शान्ति। इस तरह कीजियेगा तो इसपर एक घंटा समय दूंगा।

मैं इसे प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में भेजता हूं।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :

(क) दारोगा के विरुद्ध कार्रवाई।

श्री मो० इलियास हुसैन—अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के डिहरी शहर में दिनांक 25 जून 1982 दिन जुमा समय 1.30 बजे शहर के मुसलमान जब जुमा की नमाज जामा मस्जिद में पढ़ रहे थे, तो ठीक उसी समय डिहरी थाना के दारोगा श्री शाहाबुद्दीन खां ने 15-16 सिपाहियों के साथ नापाक हालत में जूता पहने हुए मस्जिद के भीतर प्रवेश कर अंधाधुंध लाठी-चार्ज करवा दिया जिसमें चार व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए एवं दर्जनों को साधारण चोट लगी। शैतानी हरकत कर नमाज भंग करवा दिया। धार्मिक स्थल पर पुलिस के इस बर्बरतापूर्ण जुल्म से स्थानीय मुसलमानों में घोर क्षोभ एवं रोष व्याप्त है एवं स्थिति बहुत ही विस्फोटक हो चुकी है, अतः इस नाजुक हालत को देखते हुए हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि वह उक्त दारोगा को तत्काल निलंबित कर स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कार्रवाई करे।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब सरकार 31 जुलाई 1983 को देगी।

(ख) अभियंताओं द्वारा राशि का गबन।

श्री मुंशी लाल राय—अध्यक्ष महोदय, खगड़िया बाढ़ नियन्त्रण प्रमंडल-1 के अधीन बूढ़ी गंडक में रजौड़ा कार्यस्थल पर 1981 में बाढ़-संघर्ष हेतु विभागीय स्तर पर कार्य हुये जिसमें 1530-1531 नम्बर माप-पुस्तिका में कार्यरत मजदूरों के नाम करीब 84 हजार रुपये के भाउचर बनाए गये। उसमें से करीब 75 हजार रुपये वास्तविक मजदूरों को भुगतान नहीं कर बोगस हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान बनाकर सहायक अभियन्ता श्री एस० एम० सफीउद्दीन एवं कार्यपालक अभियन्ता श्री जगदीश सिंह गबन कर गये। इसकी सूचना प्रभारी कनीय अभियन्ता श्री रामावतार यादव 'रमण' ने मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री, निगरानी (सिंचाई) एवं सिंचाई आयुक्त को उचित माध्यम से दी। इसकी जांच कराये बिना उक्त कनीय अभियन्ता का स्थानान्तरण वहां से लहेरियासराय कर दिया गया जिसका स्थगन मुख्य मंत्री ने अपने आदेश से कर दिया। इसी बीच भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने